

**Need to enhance the assistance under Penury Grant meant for financial assistance to non-pensioner ex-servicemen.-laid**

**डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण):** Penury Grant हवलदार के पद तक के भूतपूर्व सैनिकों को प्रदान किया जाता है जो 65 वर्ष से अधिक आयु के हैं और भारत सरकार से कोई पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं। यह अनुदान रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष योजना के तहत दिया जाता है। इस सहायता में 48000 रुपये की lumpsum राशि वर्ष में एक बार सैनिकों के खाते में deposit की जाती है। सालाना 48000 रुपये की राशि जो मासिक 4000 रुपये तक आती है, आज की महंगाई में बहुत ही कम है और इन सेवानिवृत्त सैनिकों को अपने जीवन यापन में आर्थिक असुविधा का सामना करना पड़ता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस राशि को 7000 रुपये per month किया जाए और lumpsum न देकर मासिक राशि इनके खातों में भेजी जाए जिससे इनको हो रही असुविधा को कम किया जा सके और इसके अतिरिक्त इन सैनिकों को पेंशनर्स की श्रेणी में नहीं रखा जाता जिसके कारण सेना द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ भी इन्हें नहीं मिलता। इन सैनिकों को निर्धारित पेंशन नहीं मिलती इस लिए इनके लिए सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा भी दी जाए क्योंकि देश की रक्षा में इन सैनिकों का भी योगदान है।